# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34–2020/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2020

(14 फाल्गुन, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट


| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ |
|---|---|---|
| भाग I | अधिनियम | |
| | कुछ नहीं। | |
| भाग II | अध्यादेश | |
| | कुछ नहीं। | |
| भाग III | प्रत्यायोजित विधान | |
| | 1. अधिसूचना संख्या का०आ० 16 / ह०अ० 11 / 1994 / धारा 209 / 2020, दिनांक 04 मार्च, 2020 —हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित) | 41 – 42 |
| भाग IV | शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन | |
| | कुछ नहीं। | |

भाग III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 मार्च, 2020

**संख्या का०आ० 16/ह०अ० 11/1994/धारा 209/2020.**— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 209 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 3/ह0अ0 11/1994/धा0 209/2020, दिनांक 6 जनवरी, 2020 के प्रति–निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 में, प्ररूप 4 क में, भाग–क में, पैरा (9) के बाद, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(9क) आय के स्रोत (स्रोतों) का ब्यौराः

(क) स्वयं ........................................

(ख) पति/पत्नी........................................

(ग) आश्रितों की आय, यदि कोई हो, के स्रोत..................................।"।

सुधीर राजपाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

*[Authorised English Translation]*

**HARYANA GOVERNMENT**

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

**Notification**

The 4th March, 2020

**No. S.O. 16/H.A. 11/1994/S. 209/2020.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994) and with reference to Haryana Government, Development and Panchayats Department, notification No. S.O. 3/H.A. 11/1994/S. 209/2020, dated the 6th January, 2020, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, namely:-

**1.** These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Election (Amendment) Rules, 2020.

**2.** In the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, in form 4-A, in part-A, after para (9), the following para shall be inserted, namely:-

"(9A) Detail of source (s) of income :-

(a) Self.......................................

(b) Spouse...................................

(c) Source of income, if any, of dependents.................... ".

SUDHIR RAJPAL,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

8718 L.R. H.G.P., Pkl.